

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25032026-271280
SG-DL-E-25032026-271280

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2026/ चैत्र 3, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 508
No. 85]	DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2026/ CHAITRA 3, 1948	[N. C. T. D. No. 508

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 24 मार्च, 2026

फा. सं. 21/11/Apprn.2/2026/LAS-VIII/Legn./19032— निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

दिल्ली विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2026

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा में
दिनांक 24 मार्च, 2026 को पुरः स्थापित किया गया)

2026 की विधेयक संख्या 06

एक
विधेयक

वर्ष 2025-2026 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम 2026 है।

₹6414,58,14,000/- का वर्ष 2025-2026 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए छः हजार चार सौ चौदह करोड़ अठ्ठावन लाख चौदह हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2025-2026 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।

विनियोजन

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजार में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
I	II		III	IV	V
1	विधान मंडल	राजस्व	200	0	200
		पूँजी	1075	0	1075
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	100	0	100
		पूँजी	200	34583	34783
4	वित्त	राजस्व	1263680	0	1263680
		पूँजी	100	0	100
5	गृह	राजस्व	100	1900	2000
		पूँजी	100	0	100
6	शिक्षा	राजस्व	500	50000	50500
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	460	100	560

		पूँजी	700	0	700
8	समाज कल्याण	राजस्व	400	0	400
9	श्रम एवं रोजगार	राजस्व	0	100	100
10	राजस्व	राजस्व	1544045	0	1544045
		पूँजी	2100	0	2100
11	शहरी विकास	राजस्व	300	0	300
12	सामान्य प्रशासन	पूँजी	4610	0	4610
15	सतर्कता	पूँजी	2000	0	2000
16	सूचना एवं प्रसारण	पूँजी	7710	0	7710
18	चुनाव	राजस्व	100	0	100
19	योजना	राजस्व	100	0	100
		पूँजी	200	0	200
21	कला, संस्कृति एवं भाषा	राजस्व	401	0	401
22	परिवहन	राजस्व	100	500	600
		पूँजी	28578300	0	28578300
24	पर्यटन	राजस्व	17600	0	17600
25	नागरिक आपूर्ति	राजस्व	1496550	0	1496550
26	विकास	राजस्व	100	0	100
		पूँजी	100	0	100
27	सहकारिता	राजस्व	200	0	200
28	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	100	0	100
		पूँजी	1200	0	1200
29	पर्यावरण एवं वन	पूँजी	150000	0	150000
30	लोक निर्माण	राजस्व	200	0	200
		पूँजी	24134800	0	24134800
32	ऊर्जा	राजस्व	100	0	100
		पूँजी	100	0	100
35	सार्वजनिक ऋण	राजस्व	0	7850000	7850000
	कुल		57208631	7937183	65145814

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारत व स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धन राशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग अधिनियम 2026, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

(रेखा गुप्ता)
वित्त मंत्री

दिल्ली

..... मार्च, 2026

विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2026 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

सदानंद साह, उप सचिव (विधान)

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT NOTIFICATION

Delhi, the 24th March, 2026

F. No. 21/11/Aprn.2/2026/LAS-VIII/Legn./19032.— The following is published for general information:-

THE DELHI APPROPRIATION (No. 2) BILL, 2026

(As introduced in the Legislative Assembly of the
National capital Territory of Delhi on 24th March, 2026)

BILL No. 06 OF 2026

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2025-2026.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-Seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 2) Act, 2026.

Issue of ₹6514,58,14,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2025-2026.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of **Rupees six thousand five hundred fourteen crore fifty eight lakh fourteen thousand only** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2025-2026 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE
(See sections 2 and 3)

(₹ In thousand)

SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
I	II		III	IV	V
1	Legislative Assembly	Revenue	200	0	200
		Capital	1075	0	1075
3	Administration of Justice	Revenue	100	0	100
		Capital	200	34583	34783
4	Finance	Revenue	1263680	0	1263680
		Capital	100	0	100
5	Home	Revenue	100	1900	2000
		Capital	100	0	100
6	Education	Revenue	500	50000	50500
7	Medical & Public Health	Revenue	460	100	560
		Capital	700	0	700
8	Social Welfare	Revenue	400	0	400
9	Labour & Employment	Revenue	0	100	100
10	Revenue	Revenue	1544045	0	1544045
		Capital	2100	0	2100
11	Urban Development	Revenue	300	0	300
12	General Administration	Capital	4610	0	4610
15	Vigilance	Capital	2000	0	2000
16	Information & Publicity	Capital	7710	0	7710
18	Election	Revenue	100	0	100
19	Planning	Revenue	100	0	100
		Capital	200	0	200
21	Art, Culture & Language	Revenue	401	0	401
22	Transport	Revenue	100	500	600
		Capital	28578300	0	28578300
24	Tourism	Revenue	17600	0	17600
25	Civil Supplies	Revenue	1496550	0	1496550
26	Development	Revenue	100	0	100
		Capital	100	0	100
27	Cooperative	Revenue	200	0	200
28	Irrigation & Flood	Revenue	100	0	100
		Capital	1200	0	1200
29	Environment & Forest	Capital	150000	0	150000
30	Public Works	Revenue	200	0	200
		Capital	24134800	0	24134800
32	Power	Revenue	100	0	100
		Capital	100	0	100
35	Public Debt	Revenue	0	7850000	7850000
	Total		57208631	7937183	65145814

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No. 2) Bill, 2026 is introduced in pursuance of sub-section (1) of section 29 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2025-2026.

This bill seeks to achieve the above objectives.

(Rekha Gupta)
Finance Minister

Delhi

____ March, 2026

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No. 2) Bill, 2026 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.

SADANAND SAH, Dy. Secy. (Legislation)